बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका संख्या–6 / खा०म० पटना (नीति)–05 / 2012

अपर सचिव

19 FEB 2013

विषय:- **पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु ग़ैर मज़रूआ आम भूमि जिसकी प्रकृति बदल गई हो एवं वह आम उपयोग में नहीं हो, का पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण करने की शक्ति सम्बन्धित समाहर्त्ता को प्रत्यायोजित करने के सम्बन्ध में।**

पंचायत सरकार भवनों का निर्माण सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अनुसार प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए न्यूनतम 50 डिसमिल भूमि की आवश्यकता है। उक्त योजना के शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–24.12.2012 में मद सख्या–21 के रूप में लिये गए निर्णय के आलोक में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु गै़र मज़रूआ आम भूमि जिसकी प्रकृति बदल गई हो एवं वह आम उपयोग में नहीं हो, का पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण करने की शक्ति सम्बन्धित समाहर्त्ता को प्रत्यायोजित की जाती है। समाहर्त्ता द्वारा ख़ास महाल मैनुअल एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों [परिपत्र सं०–217(6) / रा०, दिनांक–24.02.2010 जिसका सम्बन्ध जल निकाय, उत्सर्जन या प्रवाह / पुनरूद्धार की सम्भावना की जाँच से है (छाया–प्रति संलग्न), सहित] में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए गै़र मज़रूआ आम भूमि जिसकी प्रकृति बदल गई हो एवं वह आम उपयोग में नहीं हो, का पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण करने सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. समाहर्त्ता द्वारा पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु न्यूनतम 50 (पचास) डिसमिल गै़र मज़रूआ आम भूमि जिसकी प्रकृति बदल गई हो एवं वह आम उपयोग में नहीं हो, का पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण निम्न शर्त्तों पर किया जायेगा–

(क) जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

(ख) अन्य शर्त्तें ख़ास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगी।

3. समाहर्त्ता द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश की प्रति सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

1164 (GD) 22/2/13

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / –

(सी० अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

D:\M.K.Sec-6 Patna\27-12-2012.doc

ज्ञापांक–6 / खा0म0 पटना (नीति)–05 / 2012– (6) / रा0,पटना–15, दिनांक– / /2013

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलज़ारबाग, पटना–7 को दो प्रतियों तथा सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 1500 (एक हज़ार पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0 / –
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6 / खा0म0 पटना (नीति)–05 / 2012– (6) / रा0,पटना–15, दिनांक– / /2013

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6 / खा0म0 पटना (नीति)–05 / 2012– (6) / रा0,पटना–15, दिनांक– / /2013

फैक्स

प्रतिलिपिः–सभी समाहर्त्ता, बिहार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6 / खा0म0 पटना (नीति)–05 / 2012– 136 (6) / रा0,पटना–15, दिनांक– 6 / 2 /2013

प्रतिलिपिः–सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

6. 2. 1

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव